**EXECUTIVE SUMMARY**

1. The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act 2016” (Act no. 14 of 2016) was enacted on 21.04.2016, in order to provide essential services in unauthorized colonies. Under the said Act, total 685 colonies have been notified.
2. In the year 2021, the Government of Haryana enacted the Haryana Management of Civic Amenities & Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Act, 2021 vide notification dated 10.09.2021.
3. The Government notified Norms on 3.03.2023, according to which the colonies with the approach road of minimum 6 meters width and internal road with minimum 3 meters are to be considered for notification.
4. The layout plans of these colonies have been examined & the Government has notified total 211 colonies till date. At present, the proposal of 35 colonies of in Sonipat assembly constituency are also under considerations.

**Note for PAD**

1. The Government of Haryana enacted the Haryana Management of Civic Amenities & Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Act, 2021 vide notification dated 10.09.2021 and formulated policy norms dated 14.02.2022 for declaring unauthorized colonies in the State as deficient infrastructure areas.
2. Town & Country Planning Department conducted the survey of unauthorized colonies & identified total 2261 unauthorized colonies. The Government has notified Norms for the colonies on 3.03.2023, according to which the colonies with the approach road of minimum 6 meters width and internal road with minimum 3 meters will be considered for notification.
3. The layout plan of these colonies have been examined as per the norms dated 03.03.2023. The Government has notified total 211 colonies till date and rest of the colonies are under consideration. There are total 62 colonies falling in the limit of Municipal Corporation Sonipat, out of which 35 colonies falls in Sonipat assembly constituency. At present, the proposal of 35 colonies in Sonipat assembly constituency is also under consideration, which are likely to be notified within next 3 months under the provisions of the Act of 2021.The Detail of 35 colonies is as under :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Near Village AbadiFazilpur |
| 2. | Kalawati Colony |
| 3. | SKD Colony |
| 4. | Foji Colony |
| 5. | Rishikul School Colony |
| 6. | JeevanVihar Extension Colony |
| 7. | Vikas Nagar Extension |
| 8. | Rajeev Nagar |
| 9. | Unnamed Colony |
| 10. | Nambardar Colony |
| 11. | Patel Nagar |
| 12. | Khatri Colony |
| 13. | Pargati Nagar Extension |
| 14. | Indian Colony Extension-2 |
| 15. | Near Jatwara Village Colony |
| 16. | Near Rishikul World Acadmey Colony |
| 17. | Kusum Colony |
| 18. | Unnamed Colony-2 |
| 19. | Siddharth Colony Extension |
| 20. | MayurVihar Extension GarhiBhramanan Colony |
| 21. | MayurVihar Extension Mehlana road |
| 22. | Near CSD Colony |
| 23. | Shiv Colony Extension |
| 24. | Gohana Bye-pass near railway crossing |
| 25. | Red rose School Colony |
| 26. | MayurVihar Extension Colony, Gohana road |
| 27. | Madina Masjid Patel Nagar Colony |
| 28. | Swami Vivakanand School Colony Part-1 |

|  |  |
| --- | --- |
| 29. | Sanipura Extension-1 |
| 30. | Sanipura Extension-2 |
| 31. | Near Hanuman Colony Extension |
| 32. | Mamchand Colony |
| 33. | Indian Colony Extension-1 |
| 34. | Rose Vally School Colony |
| 35. | Shiv Modern Colony |

1. Out of these 35 colonies, the proposal of 17 colonies has been submitted to the Divisional Commissioner, Rohtak Division, for further recommendation to the Government for its recommendation.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Near Village AbadiFazilpur |
| 2. | Rishikul School Colony |
| 3. | JeevanVihar Extension Colony |
| 4. | Vikas Nagar Extension |
| 5. | Unnamed Colony |
| 6. | Pargati Nagar Extension |
| 7. | Indian Colony Extension-2 |
| 8. | Near Jatwara Village Colony |
| 9. | Near Rishikul World Acadmey Colony |
| 10. | Shiv Colony Extension |
| 11. | Red rose School Colony |
| 12. | MayurVihar Extension Colony, Gohana road |
| 13. | Swami Vivakanand School Colony Part-1 |
| 14. | Sanipura Extension-1 |
| 15. | Sanipura Extension-2 |
| 16. | Mamchand Colony |
| 17. | Indian Colony Extension-1 |

1. Being developed in violation of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, the said colonies have been declared unauthorised.
2. A colony after being notified as “declared area” under the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 amended in 2021, these becomes eligible for development of civic amenities by the Municipality.

**नोट फार पैड**

1. **हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं और अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबंध) अधिनियम** 2016 **को दिनांक** 21.04.2016 **को अधिसूचित किया और अनधिकृत कॉलोनियों को नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाला क्षेत्र घोषित करने के लिए नीति मानदंड दिनांक** 14.02.2022 **निर्धारित किऐ गए।**

2. **नगर एवम् ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों का सर्वेक्षण किया गया और कुल** 2261 **अनधिकृत कॉलोनियों की पहचान की गई। सरकार द्वारा** 3.03.2023 **को कॉलोनियों के लिए मानदंड अधिसूचित किए हैं, जिसके अनुसार न्यूनतम** 6 **मीटर चौड़ाई वाली पहुंच सड़क और न्यूनतम आंतरिक सड़क चौड़ाई** 3 **मीटर वाली कॉलोनियों को अधिसूचित करने के लिए विचार किया जाएगा।**

3**. इन कॉलोनियों के नक्शों की जांच दिनांक** 03.03.2023 **को अधिसूचित मानदंडो के अनुसार की जा रही है। सरकार ने अब तक कुल** 211 **कॉलोनियों को अधिसूचित किया है और शेष कॉलोनिया विचाराधीन है। नगर निगम सोनीपत की सीमा में कुल** 62 **कॉलोनियां आती हैं, जिनमें से** 35 **कॉलोनियां सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। वर्तमान में, सोनीपत विधानसभा क्षेत्र कीं** 35 **कॉलोनियों के प्रस्ताव विचाराधीन है, जिन्हें अगले** 3 **महीनो के भीतर अधिनियम** 2016 **के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी है।** 35 **कॉलोनियों का विवरण निम्न प्रकार हैः**

|  |  |
| --- | --- |
|  | नजदीक गांव आबादी फाजीलपुर |
|  | कलावती कॉलोनी |
|  | एसकेडी कॉलोनी |
|  | फोजी कॉलोनी |
|  | ऋषिकुल स्कूल कॉलोनी |
|  | जीवन विहार एक्सटेंशन कॉलोनी |
|  | विकास नगर एक्सटेंशन |
|  | राजीव नगर |
|  | अनाम कॉलोनी |
|  | नंबरदार कॉलोनी |
|  | पटेल नगर |
|  | खत्री कॉलोनी |
|  | प्रगती नगर एक्सटेंशन |
|  | इंडियन कॉलोनी एक्सटेंशन-2 |
|  | जटवाड़ा ग्राम कॉलोनी के पास |
|  | ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी कॉलोनी के पास |
|  | कुसुम कॉलोनी |
|  | अनाम कॉलोनी-2 |
|  | सिद्धार्थ कॉलोनी एक्सटेंशन |
|  | मयूरविहार एक्सटेंशन गढ़ीभ्रमणन कॉलोनी |
|  | मयूरविहार एक्सटेंशन मेहलाना रोड |
|  | सीएसडी कॉलोनी के पास |
|  | शिव कॉलोनी एक्सटेंशन |
|  | गोहाना बाईपास रेलवे क्रॉसिंग के पास |
|  | रेड रोज स्कूल कॉलोनी |
|  | मयूरविहार एक्सटेंशन कॉलोनी, गोहाना रोड |
|  | मदीना मस्जिद पटेल नगर कॉलोनी |
|  | स्वामी विवकानंद स्कूल कॉलोनी पार्ट-1 |
|  | सानीपुरा एक्सटेंशन-1 |
|  | सानीपुरा एक्सटेंशन-2 |
|  | हनुमान कॉलोनी एक्सटेंशन के पास |
|  | मामचंद कॉलोनी |
|  | इंडियन कॉलोनी एक्सटेंशन-1 |
|  | रोज वैली स्कूल कॉलोनी |
|  | शिव मॉडर्न कॉलोनी |

4- 35 **कॉलोनियों में से** 17 **कॉलोनियों के प्रस्ताव मंडल आयुक्त, रोहतक को सरकार की सिफारिश के लिए भेजे जा चुके है। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ग्राम आबादी फाजिलपुर के पास |
|  | ऋषिकुल स्कूल कॉलोनी |
|  | जीवन विहार एक्सटेंशन कॉलोनी |
|  | विकास नगर एक्सटेंशन |
|  | अनाम कॉलोनी |
|  | प्रगती नगर एक्सटेंशन |
|  | इंडियन कॉलोनी एक्सटेंशन-2 |
|  | जटवाड़ा ग्राम कॉलोनी के पास |
|  | ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी कॉलोनी के पास |
|  | शिव कॉलोनी एक्सटेंशन |
|  | रेड रोज स्कूल कॉलोनी |
|  | मयूरविहार एक्सटेंशन कॉलोनी, गोहाना रोड |
|  | स्वामी विवकानंद स्कूल कॉलोनी पार्ट-1 |
|  | सानीपुरा एक्सटेंशन-1 |
|  | सानीपुरा एक्सटेंशन-2 |
|  | मामचंद कॉलोनी |
|  | इंडियन कॉलोनी एक्सटेंशन-1 |

5- हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 का उल्लंघन कर विकसित की गई उक्त कॉलोनियों को अनधिकृत घोषित किया गया है।

6. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं और अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबंध) अधिनियम 2016 संशोधित वर्ष 2021 के तहत घोषित क्षेत्र‘होने के बाद ये कॉलोनी नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए पात्र होगी।